भारत सरकार
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. **1193** जिसका उत्तर
शुक्रवार, **09 फरवरी**, **2024/ 20** माघ, 1945 (शक) को दिया जाना है

निर्माणाधीन पत्तन

1193. श्री जी. एम. सिद्देश्वर :
श्री कनकमल कटारा :

क्या **पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में आज तक निजी कंपनियों द्वारा और सार्वजनिक- निजी भागीदारी (पीपीपी) पद्धति में संचालित पत्तनों सहित चालू और निर्माणाधीन पत्तनों की संख्या और ब्यौरा क्या है;

(ख) संपूर्ण देश में पत्तनों की क्षमता बढ़ाने और नए पत्तनों के निर्माण के लिए शुरू की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है और इस पर कितनी धनराशि व्यय की गई है;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा संवितरित कुल कितनी निधि संवितरित की गई है और अगले पांच वर्षों में व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण के भाग के रूप में संवितरित करने की योजना बना रही है;

(घ) क्या सरकार ने नए पत्तनों के निर्माण अथवा मौजूदा पत्तनों के पुनर्निर्माण के लिए कर्नाटक सरकार को कोई निधि प्रदान की है; और

(ङ) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान संवितरित निधि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री
(श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क) से (ख): केंद्र सरकार के पूर्ण से स्वामित्व वाले 12 महापत्तन हैं। इनमें दीनदयाल पत्तन, मुंबई पत्तन, जवाहरलाल नेहरू पत्तन, मुरगांव पत्तन, नव मंगलूर पत्तन, कोचिन पत्तन, वी.ओ.चिदंबरनार पत्तन, चैन्ने पत्तन, कामराजार पत्तन, विशाखापट्टनम पत्तन, पारादीप पत्तन तथा श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन शामिल हैं। इन महापत्तनों में परियोजनाओं/ बर्थों/ टर्मिनलों के लिए बोली प्रक्रिया द्वारा निर्धारित अवधि हेतु रियायत करार के माध्यम से रियायतप्राप्तकर्ता द्वारा राजस्व हिस्से/ रॉयल्टी का भुगतान करने के आधार पर

सार्वजनिक- निजी- भागीदारी (पीपीपी) पर निजी क्षेत्र को भागीदारी की अनुमति दी गई है। रियायत अवधि के समाप्त होने के पश्चात् पत्तन प्राधिकरण को पत्तन की परिसंपत्ति सौंप दी जाती है। 213 गैर-महापत्तनों का प्रबंधन एवं नियंत्रण संबंधित राज्य समुद्री बोर्ड/ राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। फरवरी, 2020 में कंपनी अधिनियम 2023 के अंतर्गत शामिल एसपीवी द्वारा भूस्वामी मॉडल पर वधावन पत्तन के विकास के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन दिया है जिसमें जवाहरलाल नेहरू पत्तन भारत सरकार की बजटीय सहायता के बिना एक प्रमुख भागीदार है।

सागरमाला, देश में पत्तन आधारित विकास को बढ़ावा देने के लिए पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय की केन्द्रीय क्षेत्रक योजना है तथा इसका उद्देश्य महापत्तन एवं गैर-महापत्तनों की क्षमता को बढ़ाने और उन्हें कुशल बनाने के लिए आधुनिकीकृत करना है ताकि यह पत्तन आधारित आर्थिक विकास का संचालक बन सके। सागरमाला योजना के अंतर्गत अब तक आबंटित किए गए कुल बजटीय आबंटन 3113 करोड़ रु. में से 2360 करोड़ रु. का व्यय हुआ है।

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने महापत्तनों की बर्थों, टर्मिनलों, तेल जेट्टियों आदि के निर्माण और आधुनिकीकरण के लिए वित्त वर्ष 2024-25 तक 44670 करोड़ रु. से अधिक की 81 सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) परियोजनाओं की पहचान की है। इनमें से अब तक लगभग 10,750 करोड़ रु. मूल्य की 14 परियोजनाएं सौंपी जा चुकी है।

(ग): अब तक व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण योजना के अंतर्गत महापत्तनों को कोई निधि संवितरित नहीं की गई है।

(घ) से (ङ): सागरमाला योजना के अंतर्गत मंत्रालय ने विगत तीन वर्षों में परियोजनाओं के लिए कर्नाटक सरकार को 30.39 करोड़ रु. जारी किए हैं।

*****